वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ करीता लातूर जिल्ह्यातील कामांना प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरीत करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग

शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२३/प्र.क्र.४३५/योजना-१ नवीन प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ दिनांक : ०६ फेब्रुवारी, २०२४

- वाचा :- १) शासन निर्णय, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग, क्रमांक: तांसुयो-२०१७/प्र.क्र.८४/योजना-१, दि.३०.०१.२०१८.
 - २) जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजना, लातूर यांचे क्र.७५९६, दि.०३.१०.२०२३, क्र.९१०८, दि.२४.११.२०२३ चे पत्र.

प्रस्तावना:-

महाराष्ट्र राज्यात विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्गात अनेक जाती, जमाती असून अद्यापही भटकंती करुन स्थलांतरीत स्वरुपाचे जीवन जगत आहेत. लमाण, बंजारा, वंजारी, धनगर, पारधी अशा अनेक समूहांचे तांडे / वस्त्या असून अशा तांड्यामध्ये या जाती /जमातीचे लोक अनेक वर्षांपासून राहत असले तरी, अशा तांडे किंवा वस्त्यांना प्राथमिक सुविधा उपलब्ध होत नाहीत व त्यामध्ये आधुनिकतेकडे कल असला तरी या प्रवर्गातील बहुसंख्य समाज गरीबी चे जीवन जगत आहे. तांडे, वाडी किंवा वस्त्या यामध्ये सध्या या प्रवर्गातील समाज ज्या ठिकाणी वास्तव्यास आहे त्याच ठिकाणी या समाजास स्थिर जीवन जगता यावे याकरीता त्यांना काही अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वाचा येथील क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये सविस्तर सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, वसंतराव नाईक तांडा/ वस्ती सुधार योजना जिल्हास्तरीय समिती, लातूर यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीने मान्यता देऊन शिफारस केलेल्या कामांचा प्रस्ताव वाचा क्र. २ अन्वये शासनास प्राप्त झाला आहे. त्यानुषंगाने, सदर प्रस्तावातील कामांना प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:-

वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेंतर्गत जिल्हास्तरीय समितीने शिफारस केलेल्या लातूर जिल्ह्यातील ४७ कामांना (परिशिष्ट-अ प्रमाणे) प्रशासकीय मान्यता व सदरहू कामांना आवश्यक असणारा रु.४,४०,००,०००/- (अक्षरी रुपये चार कोटी चाळीस लक्ष फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

- २. सदर निधी शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य क्रीडा व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक- इमाव-२००३/ प्र.क्र. २०५/मावक-३, दिनांक ७ जून, २००३ मध्ये नमूद केलेल्या तसेच, शासनाने यासंबंधी वेळोवेळी दिलेले आदेश / परिपत्रकाप्रमाणे सन २०२३-२४ मध्ये मंजुर करण्यात आलेल्या तरतूदीतून खर्च करण्यात यावा.
- ३. याद्वारे मंजूरी देण्यात आलेली व हाती घेण्यात येणारी परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद कामे ही शासनाच्या किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या किंवा आमदार/खासदार किंवा अन्य कोणत्याही योजनेतून यापूर्वी मंजूर झाली नाहीत किंवा करण्यात आली नाहीत याची खात्री करुन हाती घेण्यात यावीत.
- ४. सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मधील कामांचे सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करुन त्याला सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता घेण्यात यावी.
- ५. सदरहू कामांकरीता संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे हे "नियंत्रक अधिकारी" म्हणून काम पाहतील. तसेच, कामांकरीता उपलब्ध करुन दिलेला निधी त्याच उद्दिष्टासाठी खर्च करण्यात येत असल्याचे व काम गुणवत्तेनुसार झाले आहे किंवा कसे, तसेच मंजूर करण्यात आलेला निधी मंजूर कामावरच खर्च झाला आहे किंवा कसे हे संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांनी पहावे.
- ६. याद्वारे मंजूर कामांवर निधी खर्च करतांना तो विहित कार्यपध्दती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे व नियमांचे तसेच विहित प्रक्रियेचे अवलंबन करण्यात यावे. निधी खर्च करण्याबाबत वित्त विभागाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील सूचनांचा व वित्तीय अधिकाराच्या मर्यादेचा भंग होणार नाही तसेच, कुठल्याही शासन निर्णय / अधिकारांचा भंग होणार नाही हे संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांनी पहावे.
- ७. सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, लातूर व समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर यांचे या कामांवर प्रत्यक्ष नियंत्रण राहील व ते या कामाच्या प्रगतीचा अहवाल संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांना व शासनास न चुकता सादर करतील.
- ८. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी उप सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय मुंबई यांना "नियंत्रक अधिकारी" म्हणून तसेच सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, लातूर यांना "आहरण व संवितरण अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, सदरहू निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, लातूर यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी कामाबाबतचा अहवाल वेळोवेळी शासनास सादर करावा व याबाबत महालेखापाल कार्यालयाशी ताळमेळ करुन त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा.

- ९. यावरील खर्च "मागणी क्र.झेडजी-३, २२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ८०-सर्वसाधारण, १०२-स्वयंसेवी संस्थांना मदत, (०२) तांडा वस्ती सुधार योजना,(०२)(०१) विजाभज आणि विमाप्र यांच्यासाठी तांडा वस्ती सुधार योजना (कार्यक्रम), ३१-सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर) (कार्यक्रम) (दत्तमत) (२२२५ एफ ०५८)" या लेखाशिर्षांतर्गत २०२३-२४ या वर्षात उपलब्ध आर्थिक तरतूदीतून भागविण्यात यावा.
- १०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या <u>www.maharashtra.gov.in</u> या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०६१२५१४४९५३४ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(सु. श्री. कुंभार) कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

- १. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई.
- २. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.
- ३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.
- ४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.
- ५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.
- ६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.
- ७. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ८. मा. उप मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ९. मा. मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- १०.प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.
- ११.जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार योजना, लातूर.
- १२.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर.
- १३.संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे.
- १४.महालेखापाल महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर.
- १५. उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग (प्रादेशिक), लातूर.
- १६.सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, / सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, लातूर.
- १७. जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, लातूर.

- १८.जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर.
- १९. लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा व निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई.
- २०. उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- २१. उप सचिव (का-१४१३) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- २२. उप सचिव (व्यय-१४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- २३.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- २४.निवडनस्ती (योजना-१).

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग,

शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२३/प्र.क्र.४३५/योजना-१ दिनांक : ०६ फेब्रुवारी, २०२४.

परिशिष्ट अ

वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ करीता प्रशासकीय मान्यता व निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या लातूर जिल्ह्यातील कामांचा तपशील

(रु. लक्षमध्ये)

| अ. | नायका | ग्रामपंचायतीचे | तांडा वस्तीचे नाव व | कामाचे स्वरुप | वितरीत |
|------|--------|----------------|----------------------|----------------------------|----------|
| | तालुका | | | कामाय स्वरूप | |
| क्र. | | नाव | लोकसंख्या | | करावयाचा |
| | | _ | | | निधी |
| 9 | | भंगेवाडी | भंगवाडी तांडा वस्ती | सभागृह / समाजमंदिर बांधणे | 90.00 |
| | | | (२५१) | | |
| २ | | वांगजी | अहिल्याबाई होळकर | सभागृह / समाजमंदिर बांधणे | 90.00 |
| | | | नगर (१०३) | | |
| 3 | | वाघोली | धनगर वस्ती | सिमेंट रस्ता करणे | 90.00 |
| | | | विखुरलेली (१२५) | | |
| 8 | | गोंद्री | धनगर वस्ती (१७१) | सभागृह / समाजमंदिर बांधणे | 90.00 |
| | औसा | | , | C | |
| ५ | | वांगजी | धनगर वस्ती (१०२) | सिमेंट काँक्रिट रस्ता करणे | 90.00 |
| | | | | | |
| Ę | | हरेगाव | धनगर वस्ती (१७५) | सभागृह / समाजमंदिर बांधणे | 90.00 |
| | | | , ,, | C | |
| (9 | | एकंबी तांडा | सेवालाल तांडा (५००) | रमशानभूमी रस्ता करणे | 90.00 |
| ۷ | | जवळगा | सुखदेव नगर (४१४) | सभागृह / समाजमंदिर बांधणे | 90.00 |
| | | (पोमा) | | - | |
| 9 | | तांबरवाडी | धनगर वस्ती (३६१) | सिमेंट काँक्रिट रस्ता करणे | 90.00 |
| | | | , , , | <u> </u> | |
| 90 | | जावळी | धनगर वस्ती (९५) | सिमेंट काँक्रिट रस्ता करणे | 90.00 |
| 99 | | बुधोडा | धनगर वस्ती (११६) | सिमेंट काँक्रिट रस्ता करणे | 90.00 |
| | | | , , | O /: "O | |
| 9२ | | तावशीताड | वडर वस्ती दुर्गामाता | सिमेंट काँक्रिट रस्ता करणे | 90.00 |
| | | | वस्ती (३७०) | | |
| 93 | | खुंटेगाव | धनगर वस्ती (२७७) | सिमेंट काँक्रिट रस्ता करणे | 90.00 |
| | | | , | 0 / *0 / | |
| 98 | | किनीथोट | अहिल्याबाई होळकर | सिमेंट काँक्रिट रस्ता करणे | 90.00 |
| | | | नगर (१७५) | | |
| 94 | | गोंद्री | धनगर वस्ती (९५) | सिमेंट काँक्रिट रस्ता करणे | 90.00 |
| | | | | | <u> </u> |

| अ. | तालुका | ग्रामपंचायतीचे | तांडा वस्तीचे नाव व | कामाचे स्वरुप | वितरीत | | |
|-------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| क्र. | | नाव | लोकसंख्या | | करावयाचा | | |
| | | | | | निधी | | |
| 9६ | | किल्लारी | किल्लारी तांडा (१०५०) | सभागृह / समाजमंदिर बांधणे | 90.00 | | |
| 90 | औसा | नांदुर्गा | नांदुर्गा तांडा (६०२) | सभागृह / समाजमंदिर बांधणे | 90.00 | | |
| 9८ | आसा | उत्का | उत्का तांडा (५७८) | सभागृह / समाजमंदिर बांधणे | 90.00 | | |
| 98 | | दापेगाव | अहिल्यादेवी नगर | सभागृह / समाजमंदिर बांधणे | 90.00 | | |
| | | | (909) | | | | |
| २० | | जेवरी | धनगर वाडा (वस्ती) | सिमेंट काँक्रिट रस्ता करणे | 90.00 | | |
| | | | (१५४) | | | | |
| २१ | | अंबुलगा (वि.) | जय सेवालाल नगर | सभागृह / समाजमंदिर बांधणे | 90.00 | | |
| | | | (900) | | | | |
| २२ | निलंगा | रामलिंग | अ.होळकर वस्ती | सिमेंट रस्ता करणे | 90.00 | | |
| | | मुदगड | (धनगर वस्ती) (४५५) | | | | |
| 23 | | माळेगाव (क.) | धनगर वस्ती क्र.१ | सभागृह / समाजमंदिर बांधणे | 90.00 | | |
| | | | (৭७६) | | | | |
| 28 | | कोराळी | सेवालाल (लमाण) | सभागृह / समाजमंदिर बांधणे | 90.00 | | |
| | | | तांडा (५२) | | | | |
| एकूण भाग-(अ) | | | | | | | |
| | | | | एकूण भाग-(अ) | 280.00 | | |
| | | | भाग-(ब) | एकूण भाग-(अ) | 780.00 | | |
| | I | I | भाग-(ब) | • | | | |
| 9 | | भातखेडा | भाग–(ब) अहिल्यादेवी होळकर | पाणीपुरवठा करणे | 8.00 | | |
| | | _ | भाग-(ब) अहिल्यादेवी होळकर नगर (१५२) | पाणीपुरवठा करणे | 9.00 | | |
| २ | - | शिराळा | भाग-(ब) अहिल्यादेवी होळकर नगर (१५२) बिरुदेव नगर (८७) | पाणीपुरवठा करणे सभागृह / समाजमंदिर बांधणे | 9.00 9.00 | | |
| | - | _ | भाग-(ब) अहिल्यादेवी होळकर नगर (१५२) बिरुदेव नगर (८७) विठ्ठल नगर वडार | पाणीपुरवठा करणे | 9.00 | | |
| 3 | | शिराळा अंकोली | भाग-(ब) अहिल्यादेवी होळकर नगर (१५२) बिरुदेव नगर (८७) विठ्ठल नगर वडार वस्ती (३९६) | पाणीपुरवठा करणे सभागृह / समाजमंदिर बांधणे सिमेंट रस्ता व नाली करणे | 9.00 9.00 9.00 | | |
| २ | | शिराळा | भाग-(ब) अहिल्यादेवी होळकर नगर (१५२) बिरुदेव नगर (८७) विठ्ठल नगर वडार | पाणीपुरवठा करणे सभागृह / समाजमंदिर बांधणे | 9.00 9.00 | | |
| 3 | . लातूर | शिराळा अंकोली | भाग-(ब) अहिल्यादेवी होळकर नगर (१५२) बिरुदेव नगर (८७) विठ्ठल नगर वडार वस्ती (३९६) | पाणीपुरवठा करणे सभागृह / समाजमंदिर बांधणे सिमेंट रस्ता व नाली करणे | 9.00 9.00 9.00 | | |
| ₹ 3 8 | . लातूर | शिराळा अंकोली चिखुर्डा | भाग-(ब) अहिल्यादेवी होळकर नगर (१५२) बिरुदेव नगर (८७) विठ्ठल नगर वडार वस्ती (३९६) वडार वस्ती (५२४) | पाणीपुरवठा करणे सभागृह / समाजमंदिर बांधणे सिमेंट रस्ता व नाली करणे सभागृह / समाजमंदिर बांधणे | 9.00 9.00 9.00 | | |
| ₹ 3 8 | . लातूर | शिराळा अंकोली चिखुर्डा | भाग-(ब) अहिल्यादेवी होळकर नगर (१५२) बिरुदेव नगर (८७) विठ्ठल नगर वडार वस्ती (३९६) वडार वस्ती (५२४) | पाणीपुरवठा करणे सभागृह / समाजमंदिर बांधणे सिमेंट रस्ता व नाली करणे सभागृह / समाजमंदिर बांधणे | 9.00 9.00 9.00 | | |
| 2 3 8 4 | लातूर | शिराळा अंकोली चिखुर्डा चिंचोलीराव | भाग-(ब) अहिल्यादेवी होळकर नगर (१५२) बिरुदेव नगर (८७) विठ्ठल नगर वडार वस्ती (३९६) वडार वस्ती (५२४) जगदंबादेवी तांडा (१९२) | पाणीपुरवठा करणे सभागृह / समाजमंदिर बांधणे सिमेंट रस्ता व नाली करणे सभागृह / समाजमंदिर बांधणे सिमेंट रस्ता व नाली करणे | 9.00 9.00 9.00 9.00 | | |
| २ ३ ४ ५ | लातूर | शिराळा अंकोली चिखुर्डा चिंचोलीराव चाटा | भाग-(ब) अहिल्यादेवी होळकर नगर (१५२) बिरुदेव नगर (८७) विठ्ठल नगर वडार वस्ती (३९६) वडार वस्ती (५२४) जगदंबादेवी तांडा (१९२) तांडा वस्ती (१२६) | पाणीपुरवठा करणे सभागृह / समाजमंदिर बांधणे सिमेंट रस्ता व नाली करणे सभागृह / समाजमंदिर बांधणे सिमेंट रस्ता व नाली करणे सिमेंट रस्ता व नाली करणे | 9.00 9.00 9.00 9.00 | | |
| २ ३ ४ ५ | लातूर | शिराळा अंकोली चिखुर्डा चिंचोलीराव चाटा | भाग-(ब) अहिल्यादेवी होळकर नगर (१५२) बिरुदेव नगर (८७) विठ्ठल नगर वडार वस्ती (३९६) वडार वस्ती (५२४) जगदंबादेवी तांडा (१९२) तांडा वस्ती (१२६) | पाणीपुरवठा करणे सभागृह / समाजमंदिर बांधणे सिमेंट रस्ता व नाली करणे सभागृह / समाजमंदिर बांधणे सिमेंट रस्ता व नाली करणे सिमेंट रस्ता व नाली करणे | 9.00 9.00 9.00 9.00 | | |
| \(\frac{2}{3} \) \(\frac{8}{4} \) \(\frac{6}{9} \) | लातूर | शिराळा अंकोली चिखुर्डा चिंचोलीराव चाटा भातांगळी | भाग-(ब) अहिल्यादेवी होळकर नगर (१५२) बिरुदेव नगर (८७) विठ्ठल नगर वडार वस्ती (३९६) वडार वस्ती (५२४) जगदंबादेवी तांडा (१९२) तांडा वस्ती (१२६) सेवालाल नगर तांडा (२७०) | पाणीपुरवठा करणे सभागृह / समाजमंदिर बांधणे सिमेंट रस्ता व नाली करणे सभागृह / समाजमंदिर बांधणे सिमेंट रस्ता व नाली करणे सिमेंट रस्ता व नाली करणे सिमेंट रस्ता व नाली करणे | 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 | | |

| अ. | तालुका | ग्रामपंचायतीचे | तांडा वस्तीचे नाव व | कामाचे स्वरुप | वितरीत | |
|--------------------|---------|----------------|---------------------|---------------------------|----------|--|
| क्र. | | नाव | लोकसंख्या | | करावयाचा | |
| | | | | | निधी | |
| 90 | | सत्तधरवाडी | वडर वस्ती (३८१) | सिमेंट रस्ता व नाली करणे | 9.00 | |
| 99 | | वडजी | मौलाना आझाद नगर | सिमेंट रस्ता व नाली करणे | 9.00 | |
| | | | मुस्लीम दरवेशी नगर | | | |
| | | | (२०६) | | | |
| 9२ | लातूर | येल्लोरी | तुळभवानी नगर (२०३) | सिमेंट रस्ता व नाली करणे | ९.०० | |
| 93 | | फरदपूर | सेवानगर तांडा (६५०) | सिमेंट रस्ता व नाली करणे | ९.०० | |
| 98 | | गातेगाव | यशवंतराव होळकर | सिमेंट रस्ता व नाली करणे | ٥٠.٥ | |
| | | | नगर (८९) | | | |
| 94 | | रुई दिंडेगाव | यशवंतराव होळकर | सभागृह / समाजमंदिर बांधणे | ६.०० | |
| | | | नगर (१८३) | | | |
| 9६ | | भोकरंबा | खंडोबा नगर (२२७) | सिमेंट रस्ता व नाली करणे | ९.०० | |
| 90 | | हारवाडी | खंडोबा नगर (५४४) | सिमेंट रस्ता व नाली करणे | 9.00 | |
| 9८ | रेणापुर | पाथरवाडी | धनगर वस्ती (९७) | सभागृह / समाजमंदिर बांधणे | ६.०० | |
| 98 | | कुंभारी | वंजारी वस्ती (११५) | एल.ई.डी.पथदिवे बसविणे | ९.०० | |
| २० | (-113) | शेरा | धनगर वस्ती क्र.२ | सिमेंट रस्ता व नाली करणे | ९.०० | |
| | | | (१२३) | | | |
| २१ | | निवाडा | वस्ती क्र.१ (१५५) | सिमेंट रस्ता व नाली करणे | ९.०० | |
| 22 | | सिंधगाव | अहिल्यादेवी नगर | सिमेंट रस्ता व नाली करणे | ९.०० | |
| | | | (८५) | | | |
| 23 | | मोटेगाव | खंडोबा नगर (७७) | सिमेंट रस्ता व नाली करणे | 9.00 | |
| एकूण भाग-(ब) | | | | | | |
| एकूण भाग (अ) + (ब) | | | | | | |

(सु. श्री. कुंभार) कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन